

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड

26, किसान भवन, अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल

क्रमांक/बी-7/2/सी.सी.टी.व्ही./कैमरे/

भोपाल, दिनांक 23.01.2017

संशोधित परिपत्र

विषय :- प्रदेश की मण्डी समितियों/उपमण्डियों में सी.सी.टी.व्ही. कैमरों के स्थापन एवं संचालन के संबंध में।

--00--

मण्डी बोर्ड के कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-7/2/सी.सी.टी.व्ही./कैमरे/2806 दिनांक 13.06.2016 को जारी परिपत्र में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

01. शर्त क्रमांक 01 में सी.सी.टी.व्ही. कैमरों की आवश्यकता का आंकलन समिति में कार्यपालन यंत्री, तकनीकी कार्यालय के स्थान पर संयुक्त संचालक/उप संचालक, मण्डी बोर्ड, आंचलिक कार्यालय प्रतिस्थापित किया जाता है।
02. शर्त क्रमांक 05 में पूर्ववर्ती शर्त के साथ म.प्र.भण्डार क्रय एवं उपार्जन नियम 2015 के अंतर्गत अनारक्षित सामग्री क्रय/उपार्जन के लिए नियम 08 का भी ध्यान रखा जाए। स्थापित किया जाता है।

शेष शर्तें यथावत रहेंगी।



(राकेश श्रीवास्तव)

आयुक्त सह प्रबंध संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक/बी-7/2/सी.सी.टी.व्ही./कैमरे/3080

भोपाल, दिनांक 23.01.2017

प्रतिलिपि :-

01. निज सहायक, प्रबंध संचालक, म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल
02. अपर संचालक (समस्त), म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल
03. मुख्य अधियंता, म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल
04. अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री, मण्डी बोर्ड, मुख्यालय भोपाल
05. संयुक्त संचालक/उप संचालक(समस्त), म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल
06. संयुक्त संचालक/उप संचालक/मण्डी बोर्ड, आंचलिक कार्यालय.....
07. कार्यपालन यंत्री, म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, तकनीकी संभाग.....
08. सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति,.....जिला.....
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



(आयुक्त सह प्रबंध संचालक)

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल